न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 88/2018 (225 आरटीए) मांगीदेवी बनाम भूमिधारी वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00178)

मांगीदेवी पत्नी अन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरुंदा, तहसील पीपाड़ शहर।

..... अपीलांट

बनाम

1 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पीपाड़ शहर,

2 मांगीलाल पुत्र श्री जवानाराम जाति मेघवाल निवासी बोरूंदा तहसील पीपाड़ शहर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 07.05.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1305/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री युवराज सोनेल।

2 रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी।

3 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 18.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1305/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1305/2017 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोरूंदा की सरहद में प्रार्थिया का खेत खसरा नं. 1427/1 रकबा 10 बीघा ग्राम बोरूंदा में आया हुआ है। अपीलांट/प्रार्थिया को अपने खेत व ट्यूब वैल में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा नं. 1428 व 1429 के दक्षिण में सरकारी भूमि से है जिसे अतिक्रमण द्वारा छोटा कर आने जाने के

18/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिए अवरुद्ध कर दिया है इस रास्ते के अलावा अपीलांट प्रार्थिया को अपने खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण अपीलांट–प्रार्थिया को अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन बंद होने से खसरा नं. 1428 के खातेदार मांगीलाल की खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.01.2017 को निर्णित किया था जिसके विरुद्ध रेस्पोडेंट नं. 2 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील संख्या 09/2017 बअनवान मांगीलाल बनाम मांगीदेवी को इस न्यायालय द्वारा दिनाक 17.08.17 को निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि खसरा नं. 1428 की माठ का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग जुडिसियल आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर स्पीकिंग जुडिसियल आदेश पारित किया जावे। उपरोक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री युवराज सोनेल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य निर्णय व आदेश संपूर्ण तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का उचित रूप से विवेचन नहीं कर पारित किया है इस कारण विधि विरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। आलोच्य निर्णय व आदेश धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना के विपरीत जाकर पारित किया गया है इस कारण भी खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.08.2017 की पूर्ण एवं अक्षरक्ष पालना नहीं कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो कि राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व आदेश को उल्लंघित करते हुए पारित किया है इस कारण भी विधि विरुद्ध है एवं अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल स्पीकिंग जुडिसियल आदेश पारित करना था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नं. 1428 में विशेष माठ को स्पष्ट करने एवं रास्ते की चौड़ाई तथा सुझाए गए विकल्प में से किस विकल्प का

चयन करना है के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय पारित करना था जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है एवं न्यायालय ने अभिलेख पर नए सिरे से मौका रिपोर्ट लेकर अतिरिक्त साक्ष्य को खड़े करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को मात्र अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्देशित बिंदुओं पर अभिलेख के अनुसार विवेचना कर पुनः स्पष्ट निर्णय व आदेश पारित करना था न कि नए सिरे से साक्ष्य एकत्र कर प्रकरण को खारिज करना था। इस प्रकार यह निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण में पूर्व में दिए गए निर्णय से पलटते हुए निर्णय पारित करना विधि विरुद्ध है इस कारण अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांक 07.05.2018 को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थिया–अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5 रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थिया–अपीलांट लगातार अपने खसरा नं. 1427/1 रकबा 10 बिस्वा में बने ट्यूबवैल पर आने जाने के लिए अपने ससुर की खातेदारी में से आवागमन करती है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी को खसरा नं. 1427/1 में जाने का रास्ता पहले से उपलब्ध है केवल मात्र अप्रार्थी को परेशान करने के लिए रास्ते की मांग की गई है। धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो तो ही धारा 251क के अंतर्गत रास्ता दिए जाने का प्रावधान है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट–प्रार्थिया का आवेदन सही खारिज किया है। प्रकरण को न्यायालय हाजा ने रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया था अतः अतः पुनः निर्णय पारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए एवं उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा प्रकरण की अपील में पारित आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः आदेश पारित किया है। अपीलांट का मुख्य ऐतराज यह है कि अधीनस्थ न्यायालय को केवल

18/7

उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन कर पुनः विवेचना की जाकर स्पीकिंग आदेश पारित करना था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगाकर अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र कर अपीलांट–प्रार्थिया का आवेदन खारिज कर दिया है जो कि विधि विरुद्ध है। अपीलांट के इस कथन से यह न्यायालय सहमत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को तीन विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का सुझाव देने तथा रास्ते की डिमार्केशन तय करने के लिए यदि पुनः मौका रिपोर्ट मंगाई जाती है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः मौका रिपोर्ट मंगाई जाकर व उभयपक्षकारान को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि अपीलांट–प्रार्थिया ने केवल 10 बिस्वा भूमि के लिए जिसमें ट्यूबवैल स्थित है के लिए रास्ते की मांग की गई थी परंतु मौका रिपोर्ट व जांच से यह तथ्य सामने आया है कि इस ट्यूबवैल तक प्रार्थिया–अपीलांट को पहुंच का वैकल्पिक साधन उपलब्ध है तथा प्रार्थिया व उसके पति ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण भी कर रखा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश की पालना में प्रत्येक पहलू पर ध्यान देते हुए जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 यथावत रखा जाता है।

18/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर